कल्याण उपाय

कल्याण उपाय

I. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

01.01.2021 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरणः

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ईसीएल	55529	04	16	77
बीसीसीएल	41959	05	02	06
सीसीएल	37122	19	14	37
डब्ल्यूसीएल	38419	41	17	84
एसईसीएल	48392	30	06	119
एमसीएल	21887	30	16	94
एनसीएल	13890	05	08	41
एनईसी	1008	00	00	01
सीएमपीडीआई	3106	03	04	20
डीसीसी	232	00	00	00
सीआईएल (मुख्यालय)	748	02	00	02
कुल सीआईएल	**2,62,292**	**139**	**83**	**481**

2. एससी / एसटी / ओबीसी के लिए आरक्षण नीति

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में एससी/एसटी अभ्यर्थियों की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	सीधी भर्ती				पदोन्नति		
समूह क तथा ख पदों के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.वर्ग	ई डब्ल्यू एस	समूह क,ख, ग तथा घ के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति
खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा (लिखित) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर	15%	7 ½%	27%	10%	अखिल भारत	15%	7 ½%
बिना लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अखिल भारतीय आधार पर	$16^2/_3$%	7 ½%	शेष 50% तक सीमित	10%			

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग पदों की भर्ती में आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं तथा सहायक कंपनियों के राज्य–वार आरक्षण मानकों को बरकरार रखा जा रहा है। सहायक कंपनी–वार / कंपनी–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

कंपनी	राज्य	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
बीसीसीएल	झारखंड	12	26	12
सीसीएल	झारखंड	12	26	12
सीएमपीडीआईएल	झारखंड	12	26	12
ईसीएल	प.बंगाल	23	5	22
सीआईएल, कोलकाता	प.बंगाल	23	5	22
एमसीएल	ओडिशा	16	22	12
एनसीएल	मध्य प्रदेश	15	20	15
एसईसीएल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	12	32	13
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	10	9	27
एनईसी	असम	7	12	27

01.01.2021 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में समूह–वार कर्मचारियों तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
क	14333	15.5%	5.9%	16.2%
ख	15724	15.8%	9.8%	25%
ग	232235	20.36%	16.22%	13.25%
कुल	**262292**	**19.8%**	**15.3%**	**22.9%**

3. एनएलसी इंडिया लि. द्वारा कल्याण उपाय

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का. एवं प्र.वि.) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएलसी इंडिया लि. में निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीज़) के लिए एक व्यापक नीति बनाई गई है जैसाकि कार्य कार्य स्थल पर पहुंच योग्य तथा बाधा मुक्त वातावरण, व्हील चेयर उपयोग करने वालों के लिए सुलभ एवं अनुकूल शौचालय, सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, आवासीय सुविधा में वरीयता तैनाती का विकल्प 4 विशेष वैकल्पिक अवकाश, इंडक्शन एवं भर्ती उपरांत प्रशिक्षण, आरक्षित वाहन पार्किंग आदि। एनएलसी इंडिया लि. का.एवं प्र.वि. द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार पीडब्ल्यूडीज़ के लिए रोजगार में 19.04.2017 से 4% (07.02.1996 से 18.04.2017 तक 3% आरक्षण) आरक्षण देती है और साथ ही इसने निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्य बल में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के उपयुक्त प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।

दिनांक 30 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार एनएलसीआईएल में बेंचमार्क निःशक्त व्यक्तियों (एचएच, ओएच, वीएच श्रेणी के तहत) का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	बेंचमार्क निःशक्तता की प्रकृति			
		एचएच	ओएच	वीएच	कुल
क	3244	1	32	2	35
ख	360	5	3	-	8
ग	6790	11	70	17	98
घ	1060	35	11	27	73
कुल	**11454**	**52**	**116**	**44**	**214**

एचएच–श्रवण बाधित; ओएच– शारीरिक निःशक्तता; वीएच–दृष्टि बाधित

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों के अलावा, कंपनी द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए की गई कुछ अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

➢ एनएलसी इंडिया लिमिटेड वर्ष 1987 से मानसिक विकलांग वाले विशेष बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नेहा स्कूल नाम से एक डे केयर स्कूल चलाता है। बच्चों को कला और शिल्प, मोमबत्ती बनाने, पेपर कप / कवर बनाने, बढ़ईगीरी बागवानी, डोरमैट बुनाई आदि जैसे व्यवसायों में स्नेहा अपॉर्च्युनिटी सर्विसेज और एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रायोजित स्कूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या वर्तमान में 81 है, जिनमें से 55 लड़के और 26 लड़कियां हैं।

➢ एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित नेवेली हेल्थ प्रमोशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) नामक सोसाइटी के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विकलांग व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र का वितरण।

अ.जा./अ.ज.जा. को आरक्षण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का ईमानदारी से पालन करती है। भर्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.एवं प्र.वि.) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर सिस्टम के अनुसार की जाती हैं। एनएलसीआईएल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू आरक्षण नियमों/दिशा–निर्देशों के यथोचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारियों के अधीन अलग–अलग अ.जा. और अनु.ज.जा. सेलों को स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ ऐसे लाभों के लिए पात्र सही दावेदार को मिलना चाहिए, एनएलसीआईएल संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों/जिला स्तर सतर्कता समिति (डीएलवीसी)/राज्य स्तर जांच समिति (एसएलएससी) के माध्यम से प्रारंभिक नियुक्ति के समय अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों की जाति स्थिति का सत्यापन ईमानदारी से करती है।

31 दिसंबर, 2021 को एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल जनशक्ति 11,454 है और 31 दिसंबर 2021 को एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व उनके लागू आरक्षण प्रतिशत के मुकाबले नीचे दिया गया है।

समूह	कुल संख्या	आरक्षण का लागू%		एससी की संख्या		एसटी की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	एससी का %	अनुसूचित जाति	एससी का %
क	3,244	15 और 16.66*	7.5	690	21.27	308	9.49
ख	360	15 और 16.66*	7.5	72	20.00	12	3.33
कुल	**3,604**	-	-	**762**	**21.14**	**320**	**8.88**

समूह	कुल संख्या	आरक्षण का लागू%		एससी की संख्या		एसटी की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	एससी का %	अनुसूचित जाति	एससी का %
क	6,790	19	1	1,319	19.43	76	1.12
ख	1,060	19	1	288	27.17	3	0.28
कुल	**7,850**	-	-	**1,607**	**20.47**	**79**	**1.01**

** खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा अखिल भारत स्तर पर भर्ती के लिए 15% आरक्षण।*

**खुली प्रतिस्पर्धा से भिन्न अखिल भारत स्तर पर भर्ती के लिए 16.66% आरक्षण।*

उपर्युक्त आरक्षण की मात्रा तमिलनाडु में समूह ग एवं घ पदों के लागू होती है। तथापि, समूह ग एवं घ पदों के लिए आरक्षण की मात्रा जो आमतौर पर किसी स्थान या किसी क्षेत्र से अभ्यर्थियों को आकर्षित करती है, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों में आबादी के भाग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जन शिकायत निवारण –अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021

जन शिकायत के माध्यम से प्राप्त	अग्रेषित किया/प्राप्त	फिर से तैयार	लंबित
ऑनलाइन पोर्टल – एमओसी	75	69	06
वीआईपी संदर्भ	05	04	व
मुख्यमंत्री विशेष प्रकोष्ठ/चेन्नई	56	56	व
जिला कलेक्टर / कुड्डालोर	82	56	26
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे संबोधित/मेल के माध्यम से	05	05	व
कुल	**223**	**191**	**32**

कर्मचारी कल्याणः

(i) शैक्षिक सहायता योजना (छात्रवृत्ति)		
आरक्षण वर्ग	छात्रों की संख्या	स्वीकृत राशि रु.
सामान्य श्रेणी	64 (ए/वाई– 2020–21)	6,16,000/– (ए/वाई – 2020–21)
	43 (ए/वाई– 2020–21)	4,16,000/– (ए/वाई – 2020–21)

(ii) नकद पुरस्कार (अप्रैल–2021 से दिसंबर–2021)

शैक्षणिक वर्ष	दसवीं कक्षा		बारहवीं कक्षा	
	छात्रों की संख्या	राशि रु.	छात्रों की संख्या	राशि रु.
2021	104	52,000/- (104 x 500)	215	2,15,000/- (215 x 1000)
छात्रों की कुल संख्या	104 + 215 = 319	कुल स्वीकृत राशिःरु.2,67,000/–* (52,000 + 2,15,000) *–सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त दिसम्बर–2021 में कर्मचारी वेतन खाते में भुगतान किया जाना है।		

(iii) मृत्यु राहत कोष (अप्रैल–2021 से दिसंबर–2021)	
लाभार्थियों की कुल संख्याः128	सेवारत कर्मचारियों के वेतन से वसूल की गई मृत्यु राहत राशि मृतक कर्मचारी के नामितों को देय होगी।
पारिवारिक राहत (अप्रैल–2021 से दिसंबर–2021)	
लाभार्थियों की कुल संख्या : 70	परिवार राहत राशि मृत कर्मचारी के पति/पत्नी को देय है।